इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2012—पौष 22, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. 500-17-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 1 सन् 2012

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2012

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १२ जनवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्यवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2012 है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2005 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिए प्राक्कलित जीएसडीपी के क्रमश: 37.6 प्रतिशत, 36.8 प्रतिशत, 36.0 प्रतिशत तथा 35.3 प्रतिशत से अधिक नहीं हों;".

भोपाल :
तारीख 11 जनवरी, 2012

रामनरेश यादव
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. 501-17-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No.1 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA AVAM BUDGET PRABANDHAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2012.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th January, 2012.]

Promulgated by the Governor in the sixty-second year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exit which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012.

Madhya Pradesh Act No. 18 of 2005 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No.18 of 2005) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Amendment of Section 9.

3. In Section 9 of the principal Act, in sub-section (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) ensure that total outstanding debt do not exceed 37.6 percent, 36.8 percent, 36.0 and 35.3 percent for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively of the estimated GSDP for that year; ".

Bhopal :
Dated the 11th January, 2012.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.